

2023/881

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला भीलवाडा
(प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2023 शिविर- ~~अमरगढ~~ ~~वाला~~)

प्रकरण संख्या / 825/23

दिनांक : 22/6/23

उनवान

श्री. जोपाल लाल पुत्र नाथू लाल माली नाम

सरकार जरिये तहसीलदार
जहाजपुर जिला भीलवाडा

सा. देह खतेदार

:: आदेश ::

प्रार्थी के खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र और उसके साथ संलग्न दस्तावेज, पटवारी हल्का अमरगढ भू. अ. नि. अमरगढ एवं तहसीलदार जहाजपुर की रिपोर्ट/अनुशंषा अनुसार राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत ग्राम अमरगढ प. ह. अमरगढ की वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2073-2076 के खाता संख्या 546 में वर्तमान दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते है।

क्र.सं	अशुद्ध प्रविष्टि का प्रकार (नाम/पिता का नाम/जाति /ग्राम का नाम/रहम आदि)	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जानी है
01.	प्रार्थी का नाम वा ग्राम का नाम	<u>जोपाल पुत्र नाथू माली</u> <u>सा. जमपुर खतेदार</u>	<u>जोपाल लाल पुत्र नाथू लाल माली</u> <u>सा. देह खतेदार</u>

h
उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर जिला भीलवाडा

प्रतिलिपी :-

1. तहसीलदार जहाजपुर जिला भीलवाडा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल कर पालना प्रस्तुत करे।
2. प्रार्थी श्री जोपाल लाल पुत्र नाथू लाल माली सा. देह खतेदार
3. रक्षित पत्रावली

h
उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर जिला भीलवाडा